न्यायालय उपखण्डअधिकारीरायसिंहनगर,
पीठासीनअधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं.: 55/22
जीसीएमएस : 2022/206

1. नत्थूराम पुत्र श्री नरसाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.) —:प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी 83 आर.बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
2. लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री कोरसिंह जाति जटसिख निवासी 24 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।

—:अप्रार्थीगण

4. सरस्वती पत्नी भंवरलाल पुत्र श्री नरसाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
5. महावीर पुत्र भंवरलाल पुत्र श्री नरसाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
6. श्रवण पुत्र भंवरलाल पुत्र श्री नरसाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
7. सतपाल पुत्र भंवरलाल पुत्र श्री नरसाराम जाति मेघवाल निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
8. कलावती पुत्री भंवरलाल पत्नी राजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी 9 एल.एस.एम. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
9. रामेश्वरी पुत्री श्री नरसाराम पत्नी बीरबल जाति मेघवाल निवासी सुनारांवाली ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
10. गुडडी पुत्री श्री नरसाराम पत्नी अर्जनराम जाति मेघवाल निवासी हाल मटीली राठान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
11. सोपीदेवी पुत्री श्री नरसाराम पत्नी अर्जनराम जाति मेघवाल निवासी हाल धीरेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर(राज.)।
12. शंकर पुत्र विद्या पुत्री श्री नरसाराम जाति मेघवाल निवासी हाल 19 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
13. वनवारी पुत्र विद्या पुत्री श्री नरसाराम जाति मेघवाल निवासी हाल 19 आर.बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)। —तरतीबी पक्षकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू 12.04.2022

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री राजाराम धारणियां प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री नरेन्द्र भादू अप्रार्थी सं. 1—2 अधिवक्ता।
3. श्री सोहन वर्मा अप्रार्थी सं. 4 ता 13

—:निर्णय:— दिनांक :—05.03.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:53 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि [illegible] लिखमेवाला बारानी तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 217/298 [illegible] 34 [illegible] 36 पुराना की 24—10 बीघा बारानी भूमि रकबा [illegible] 1946 से [illegible] से ही प्रार्थी के दादा धर्माराम वल्द पूरन के कब्जा काश्त में थी तथा धर्माराम की मृत्यु के बाद प्रार्थी के पिता श्री नरसाराम के कब्जा काश्त में [illegible] अर्थात पिछले 75 वर्षों से उक्त विवादित भूमि प्रार्थी व उनके पूर्वजों के सुखाधिकार कब्जा काश्त में है। विवादित भूमि 24—10 बीघा अर्थात 6.200 हे० बारानी भूमि रकबा राज में

Scanned with OKEN Scanner

से किला नं. 1 व 2 का 2–00 बीघा, किला नं. 9 ता 12 की 4–00 बीघा कुल 6–00 बीघा रकबा बारानी दिनांक 05.10.1979 को प्रार्थी के पिता नरसाराम पुत्र श्री धर्माराम के नाम से अन्त्योदय योजना में चयनित के आधार पर आवंटित हुई जिसका कब्जा राजस्व रिकार्ड में पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। दिनांक 09.01.1983 को उक्त विवादित भूमि वाके चक लिखमेवाला बारानी के मु.नं. 34 नया, 36 पुराना के किला नं. 1 ता 12 की 12–00 बीघा बतौर हरीजन (अन्त्योदय) प्रार्थी के पिता नरसाराम पुत्र धर्माराम को पुख्ता आवंटित हुई। विवादित भूमि की प्रथम किश्त नरसाराम द्वारा जमा करवाई गई है, तथा सन् 1946 से लेकर वर्तमान तक उक्त विवादित भूमि 12–05 बीघा प्रार्थी व उसके पूर्वजों के कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त मु.नं. 34 नया, 36 पुराना के किला नं. 13/2 की 0.127 है0, किला नं. 14 ता 25 की 3.036 है० कुल 3.163 है० बारानी भूमि रकबा राज दर्ज है तथा किला नं. 3 की 0.228 है0, 4 की 0.228 है0, 5 की 0.228 है0 6 ता 8 की 0. 759 है0, 13/4 की 0.076 है0 कुल 1.519 है० बारानी भूमि अप्रार्थी सं. 1 दिनेश के नाम व किला नं. 1 की 0.228 है०, किला नं. 2 की 0.228 है0, 9 ता 12 की 1.012 है0, 13/3 की 0.050 है0, कुल 1.518 है० बारानी भूमि अप्रार्थी सं. 2 लखविन्द्रसिंह के नाम दर्ज है। विवादित भूमि के किसी भी भाग से अप्रार्थी सं. 1 व 2 का कभी कोई वास्ता नहीं रहा है तथा विवादित भूमि के किसी भी भाग पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 का कब्जा काश्त नहीं है अप्रार्थी सं. 1 व 2 का नाम सहवन से जमाबन्दी में दर्ज हुआ है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 व 2 का नाम जरिये दुरूस्ती हटाया जाकर उनकी जगह वादी का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा उसके भाई मृतक भंवरलाल के वारिसान अप्रार्थी सं. 4 ता 8 के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के पिता नरसाराम पुत्र श्री धर्माराम के नाम से समय समय पर एक साला अस्थाई आवंटित रही है तथा एक साला टी.सी. से भी यह पूर्णतया प्रमाणित है कि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नरसाराम के जीवनकाल में नरसाराम का व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी व उसके भाई भंवरलाल का व प्रार्थी के भाई भंवरलाल की मृत्यु के बाद उनके जायज व कानूनी वारिस अप्रार्थी सं. 4 ता 8 लगातार चला आ रहा है। ओ–14 उक्त भूमि नरसाराम के नाम दर्ज होने के बावजूद अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम से किस वजह से दर्ज हुई। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने मिलीभगत से उक्त रकबा गलत तरीका से अपने नाम दर्ज करवाया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का पूर्ण रूप से सिद्ध है कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थी के दादा धर्माराम वल्द पूरन के कब्जा काश्त में थी तथा धर्माराम की मृत्यु के बाद प्रार्थी के पिता श्री नरसाराम के कब्जा काश्त में रही अर्थात पिछले 75 वर्षों से उक्त विवादित भूमि प्रार्थी व उनके पूर्वजों के सुखाधिकार कब्जा काश्त में है तथा वर्तमान में उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीगण ने फसल हाड़ी में तारामीरा का बिजान किया तथा अब फसल तारामीरा को काटकर खेत में ढेरी की हुई है, इससे सुविधा की संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने नापाक इरादा में कामयाब होकर उक्त विवादित भूमि किसी [illegible] को रहन बैंक अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो इससे मुझ प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 ता 8 को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पारित की जावे कि वे चक लिखमेंवाला बारानी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 34 नया, 36 पुराना के किला नं. 1 ता 12 व 13 का 1/2 भाग कुल तादादी 12—10 बीघा बारानी रकबा के 1/2 हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 ता 8 को बहिस्सा बराबर बराबर 1/2 हिस्सा भूमि में से किसी भू—भाग को रहन बैय व हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 4 ता 8 उक्त भूमि के अपने सुखाधिकार के उपयोग व उपभोग से वंचित होते हों।

2. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपार्थी संख्या 1 एवं 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना—पत्र मय कांऊटर क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया गया कि उक्त भूमि कभी भी प्रार्थी के दादा धर्माराम व पिता नरसाराम के कब्जा काश्त में नही थी। उक्त भूमि कभी भी प्रार्थी के पिता नरसाराम को आवंटित नही हुई है। और ना ही उक्त भूमि कभी भी प्रार्थी के कब्जा काश्त थी उक्त भूमि पर सन् 2019 से अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 का लगातार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थना—पत्र को बल देने के लिए झूठे तथ्य पेश किये है। क्योकि प्रार्थी कभी भी प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 से नही मिला उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 की खरीद शुद्वा भूमि है अतिरिक्त आपत्ति एवं कांऊटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि वाके चक लिखमेवाला बारानी तहसील रायसिंहनगर के पं0नं0 217/298 मु0नं0 34 के किला नं0 01 ता 12 सालम व किला न0 13/3 व किला नं 13/4 बारानी भूमि डूगर राम पुत्र लेखराम को आवंटित हुई थी। डूगर राम की मृत्यू के बाद उक्त भूमि की सनद दिनांक 14.06.1971 को डूंगर राम के वारिसान के नाम से जारी होने के बाद उक्त भूमि डूगर राम के वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। जो उसके काब्जा काश्त में थी, उक्त भूमि पर डूगर राम के वारिसान को हर प्रकार के हक हकूक व तमाम मलकीयती अधिकार हासिल थे। प्रतिवादीगण को घरेलू जरूरत पूर्ति के लिए रूपयो कि आवश्यकता होने पर अपनी कब्जा काश्त भूमि को जरिये बैयनामा अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 को दिनांक 24.12.2019 को विक्रय कर दी। प्रार्थी लोगो की बातो में आकर झूठे आधारो पर यह प्रार्थना पेश अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 नाहक हैरान—परेशान कर बेजा नुकसान पहुंचाने व दबाव बनाने के आश्य से पेश कर रखे है। इसके अलावा वादी ने सही तथ्य छिपाते हुये गलत आधारो पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपरोक्त समस्त हालात व तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 को उक्त भूमि खरीद करने के बाद हिस्सा में आई और प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सख्या 01 ता 02 को अपने हिस्से से वंचित करने की साजिश करते हुये विवादित भूमि भी हड़पने के षड्यन्त्र अन्तर्गत कार्यवाही झूठे आधारो पर की जा रही है। प्रार्थी सद्भावी नही है और क्लीनहेण्ड से न्यायालय में नही आया है और न्यायालय को गुमराह कर वांछित अनुतोष वा व्यादेश प्राप्त करने की कुचेष्टा [illegible]। वादी कोई अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नही है। क्योकि उक्त प्रार्थना—पत्र [illegible] वर्णित भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 24.12.2019 को खरीद करने के [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई और समय अधिक होने [illegible] लाने का अधिकारी नही है। ना ही उक्त वाद पत्र में प्रार्थी [illegible] मियाद के बिन्दू पर कोई कारण प्रर्दशित किया है प्रार्थना पत्र काबिले खारिज योग्य है। अतःजवाब प्रार्थना पत्र मय कांऊटर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मौजूदा स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावकर खर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जबावदेही वा विशेष हर्जाना अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 को प्रार्थी से दिलाया जावे। अप्रार्थी संख्या 4 ता 13 की तरफ से श्री सोहन वर्मा अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अगर प्रार्थना पत्र प्रार्थी के कथनानुसार स्वीकार फरमाया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

3. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमे अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु रहे निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि अपने जरिये बैयनामा खरीद की हुई है और मौके पर कब्जा काश्त है इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

4. बहस पक्षकारान पर अधिवक्तागण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायकी संपत्ति है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 ता 13 के पिता/दादा नरसाराम को अन्तयोदय योजना के तहत दिनांक 05.10.1979 को पुख्ता आवंटित हुई है क्योकि विवादित भूमि बतौर अनुसूचित जाति सदस्य अन्तोदय योजना के तहत आवंटित होने व प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 4 ता 13 का विरास्तन हक है अप्रार्थी सं. 1 व 2 गैर अनुसूचित जाति के सदस्य है जिनके नाम से विवादित भूमि हस्तांतरित या खातदारी दर्ज होना विधिमान्य नहीं है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है क्योंकि प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि गैर अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम नहीं हो सकती हैं। विवादित भूमि के कब्जा के संबंध में निर्णय दावा में होना है प्रार्थी विवादित भूमि पर बतौर आवंटन व विरास्त अपना व अप्रार्थी सं. 4 ता 13 का कब्जा बता रहा है ऐसी स्थिति अपरिभय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष मे मूल वाद के निर्णय तक दोनों पक्षकारों को वादग्रस्त सम्पति के दुरूपयोग, क्षतिग्रस्त किये जाने या हस्तांतरित किये जाने से रोका जाना आवश्यक है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रिकार्ड व मौका की स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाने विधि संमत हैं

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व आदेश पारित किया जाता है कि वाके चक लिखमेवाला बारानी के मु.नं. 34 के कि. नं. 1 ता 12 व कि.नं. 1 ता 12 व कि.नं. 13/3 एवं 13/4 की कुल 12.10 बीघा बारानी भूमि पर दिनांक 12.04.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड व मौका स्थिति यथावत बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते है पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:53 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner